

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-319/2013
संस्थित दिनांक- 12.09.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

शिवराज उर्फ सेवराज पुत्र प्यारेलाल गडरियां
उम्र 27 साल निवासी ग्राम पाडरी सिंहपुर
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 01.06.2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 504, 324 के दण्डनीय अपराध है कि उसने दिनांक-22.08.2013 को प्रातः 09:00 बजे फरियादी का कुआ खेत ग्राम पाडरी थाना चंदेरी में लोक स्थान पर फरियादी सन्तोष को अपमानित करने के आशय से गाली गलौच कर प्रकोपित किया और ऐसा तुमने यह जानते हुये किया कि वह उस प्रकोपन से लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करें एवं फरियादी सन्तोष की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रसरण में फरियादी सन्तोष की हसिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-22.08.2013 को फरियादी सन्तोष व पत्नी कपूरी बाई खेत पर गये तो उसके खेत पर से शिवराज घास काट रहा था, सन्तोष ने कहा घास मत काट तो सन्तोष, फरियादी को गालियां देने लगा, सन्तोष ने गाली देने से मना किया, तो शिवराज ने हाथ में लिये हसियों की उल्टी तरफ से मारा, जिससे सिर में चोट लगी। मौके पर सन्तोष की पत्नी कपूरी बाई एवं विजय राम ने घटना देखी व बीच वचाव किया। फरियादी सन्तोष ने घटना दिनांक-22.08.2013 को ही पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक-447/2013 अंतर्गत धारा-323, 504 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध की गई फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी सन्तोष को धारदार वस्तु से उपहति पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा दिनांक-27.08.2013 अभियुक्त के विरुद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक-300/2013 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा-324, 323, 504 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.08.2013 को प्रातः 09:00 बजे फरियादी का कुआ खेत ग्राम पाडरी में फरियादी सन्तोष की धारदार हसियों से जो कि काटने का उपकरण हैं, से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व लोक स्थान पर फरियादी सन्तोष को अपमानित करने के आशय से गाली गलौच कर प्रकोपित कर यह जानते हुये किया कि वह उस प्रकोपन से लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक—01, 02 और 03 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप में फरियादी सन्तोष पाल (अ0सा0—01) सहित पत्नी कपूरी बाई (अ0सा0—02) व विजयराम (अ0सा0—03) के कथन न्यायालय में कराये गये। सन्तोष पाल (अ0सा0—01) का अभियोजन के समर्थन में अपने कथनों में कहना है कि घटना करीब दो साल पहले की होकर सुबह 08:00—09:00 बजे की है। वह खेत पर चारा काटने के लिये गया था, तो वहां अभियुक्त चोरी से उसके खेत में घास काट रहा था, जिसे मना करने पर अभियुक्त ने उसे हसिया व कुल्हाड़ी से मारा, जिससे उसके सिर में हसियों की नोंक से कटकर खून निकल आया था।

06— सन्तोष पाल (अ0सा0—01) का कहना है कि इस घटना के पहले मौके पर उसकी पत्नी कपूरी बाई (अ0सा0—02) व विजय राम भी मौजूद थे। सन्तोष पाल (अ0सा0—01) के घटना के संबंध में दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहे हैं।

इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि उसने चारा काटने के लिये सुरेश से खेत लिया था, जो कि तीन बीघा का था तथा चारा काटने के विवाद पर से अभियुक्त ने उसे हसियों की नोक से मारा था तथा इस घटना के समय उसकी पत्नी कपूरी बाई (अ0सा0-02) व विजयराम (अ0सा0-03) उपस्थित थे।

- 07— सन्तोष पाल (अ0सा0-01) के द्वारा अपने कथनों में आरोपी के द्वारा हसियों की नोक से सिर में चोट कारित करना बताया है, तथा प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने इस बात का खण्डन किया है कि अभियुक्त ने उसे हसियों की उल्टी तरफ से मारा था। यह साक्षी इस संबंध में पुलिस से की गई रिपोर्ट एवं पुलिस को दिये गये कथनों में भी कोई कथन न देना बताता है। अतः सन्तोष पाल (अ0सा0-01) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से उसके न्यायालीन कथन एवं पुलिस को की गई रिपोर्ट एवं पुलिस को दिये गये कथनों में इस संबंध में विरोधाभास देखा जा सकता है कि वास्तव में अभियुक्त ने उसके सिर पर हसियां किस ओर से मारा था।
- 08— सन्तोष पाल (अ0सा0-01) के न्यायालीन कथनों में उत्पन्न हुये उपरोक्त विरोधाभास के अलावा इस साक्षी के कथन पूर्ण रूप से अभियोजन घटना का समर्थन करते हैं प्रतिपरीक्षण में भी अकाट्य व अखण्डित है, जिसकी पुष्टि अदम्य चैक प्रदर्श पी 02 से भी होती हैं, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। सन्तोष पाल (अ0सा0-01) के अनुसार इस घटना के समय मौके पर उसकी पत्नी कपूरी बाई (अ0सा0-01) व विजयराम (अ0सा0-03) भी मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी थी। अभियोजन की ओर से इन दोनों ही साक्षियों के कथन न्यायालय में अपने समर्थन में कराये गये हैं।
- 09— सन्तोष पाल (अ0सा0-01) के द्वारा घटना के संबंध में न्यायालय में दिये गये कथनों का पूरी तरह से समर्थन उसकी पत्नी कपूरी बाई (अ0सा0-02) व साक्षी विजयराम (अ0सा0-03) ने अपने न्यायालीन कथनों में किया है तथा इन दोनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि उनके कथन देने के दिनांक से लगभग तीन साल पहले सुबह करीबन 08:00 बजे जब आरोपी खेत में घास काट रहा था तो फरियादी सन्तोष पाल ने उसे रोका, तो अभियुक्त ने फरियादी के सिर में हसिया मार दिया था।
- 10— कपूरी बाई (अ0सा0-02) ने हालांकि अपने मुख्य परीक्षण में विरोधाभासी कथन देते हुये घटना शाम के समय की बताई है, परन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-02 में उसने स्पष्ट तौर पर घटना सुबह 08:00 बजे की बताते हुये यह स्पष्ट किया है कि जिस खेत पर अभियुक्त घास काट रहा था, वह उन्होंने ठेके पर लिया था। इसी प्रकार कपूरी बाई (अ0सा0-02) मौके पर विजयराम (अ0सा0-03) की उपस्थिति न बताते हुये मात्र अपने पति व अभियुक्त के साथ स्वयं को उपस्थित होना बताती हैं, जबकि विजयराम (अ0सा0-03) ने घटना स्थल पर स्वयं सहित फरियादी व उसकी पत्नी की उपस्थिति

प्रमाणित करते हुयें, न्यायालय में कथन दिये है।

- 11— अतः अभियुक्त ने फरियादी के द्वारा ठेके पर लिये गये खेत पर सुबह 08:00 बजे के लगभग फरियादी के द्वारा घास काटने से मना करने पर फरियादी के साथ विवाद किया था, तथा उस विवाद में फरियादी के सिर पर हसियें से उपहति कारित की थी, इस संबंध में कपूरी बाई (अ0सा0-02) के द्वारा पूरी तरह से अभियोजन का समर्थन करते हुये फरियादी के कथनों की पुष्टि की गई हैं। इस साक्षी के कथनों में उत्पन्न हुआ उपरोक्त विरोधाभास तात्विक स्वरूप का नहीं है, जिस कारण इस साक्षी की संपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज किया जा सकें।
- 12— इसी प्रकार साक्षी विजयराम (अ0सा0-03) ने भी फरियादी के कथनों का पूरी तरफ से समर्थन करते हुये इस बात की पुष्टि की है कि खेत पर घास काटने से मना करने पर अभियुक्त ने फरियादी के सिर में हसिया मारा था तथा जिस समय फरियादी की पत्नी भी मौजूद थी तथा वह उसे लेकर अस्पताल आया था। इस साक्षी के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन भी तात्विक विरोधाभास से मुक्त होकर फरियादी के द्वारा बताई गई घटना की पुष्टि करते हैं।
- 13— अतः ऐसे में फरियादी सन्तोष पाल (अ0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में बताई गई घटना की घास काटने से रोकने से अभियुक्त ने उसके सिर में हसिया मार दिया था, विरोधाभास रहित होकर पूरी तरह से अभियोजन घटना का समर्थन करते है तथा फरियादी के द्वारा बताई गई घटना की पुष्टि स्वयं मौके के साक्षी कपूरी बाई (अ0सा0-02) व विजयराम (अ0सा0-03) के द्वारा भी अपने न्यायालीन कथनों में की गई। जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को सुबह करीबन 08:00 बजे जब फरियादी अपनी पत्नी के साथ ठेके पर लिये हुये खेत पर घास काटने के लिये पहुंचा था, तो वहां अभियुक्त पहले से ही घास काट रहा था तथा फरियादी के द्वारा उसे मना करने पर उसने फरियादी के साथ विवाद कर हसियें से उसके साथ मारपीट कर सिर में उपहति कारित की थी।
- 14— फरियादी सन्तोष पाल (अ0सा0-01) ने हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विरुद्ध यह कथन अवश्य दिये है कि अभियुक्त ने हसिये नोक की तरफ से मारा था तथा हसिये की उल्टी तरफ से मारने की घटना यह साक्षी अपनी रिपोर्ट व कथनों में लेख न कराना बताता है। वहीं विजयराम (अ0सा0-03) भी अपने प्रतिपरीक्षण में बढा-चढा कर कथन देते हुये यह कहता है कि फरियादी के सिर में दो उंगल की चोट की थी जिसमें 10-12 टांके आये थे जो कि सिर में दाहिनी तरफ कान के उपर थी, परन्तु इस साक्षी का साथ ही यह भी कहना है कि उसने नहीं देखा कि अभियुक्त ने फरियादी को हसिया खड़ा मारा था आड़ा मारा था। अतः अभियुक्त ने फरियादी को हसिया किस ओर से मारा था, इस संबंध में जहां फरियादी के कथनों में विरोधाभास हैं,

वही विजयराम (अ0सा0-03) व कपूरी बाई (अ0सा0-02) ने अपने कथनों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्त ने हसिया किस ओर से मारा था।

- 15- यदि कोई घटना अचानक घटित होती है, तो पीटने वाला व्यक्ति के लिये यह बता पाना संभव नहीं होता है कि वास्तव में हथियार की किस ओर से प्रहार किया गया। वह बाद में चोट की प्रकृति के आधार पर अनुमान आधार पर ही कथन दे सकता है क्योंकि यदि सिर पर हसियों की चोट कारित की गई थी, फरियादी के लिये यह संभव ही नहीं था कि वह देखे के हसिया किस ओर से उसके सिर पर मारा गया। अतः ऐसे में फरियादी के हसिया किस ओर से मारा गया था, इस का निर्धारण चोट की प्रकृति के आधार पर ही किया जा सकता है।
- 16- डॉक्टर आर.पी. शर्मा (अ0सा0-04) ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 22.08.2013 को उसके द्वारा जब फरियादी सन्तोष (अ0सा0-01) का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, तो फरियादी के सिर में एक अर्द्धचंद्राकार कटा फटा हुआ घाव आकार 02 गुणित 1/4 गुणित 1/4 जो कि लाल रंग का था एवं उसमें खून जमा था, पाया था, जो कि परीक्षण के 12 घण्टे के अवधि के अंदर का होकर कठोर पर धारदार वस्तु से कारित होना संभव था, परन्तु यही साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव पर भी सहमति देता है कि यदि फरियादी पत्थर पर गिरता, तो इस प्रकार की चोट आना संभव थी।
- 17- अतः डॉक्टर आर.पी. शर्मा (अ0सा0-04) के द्वारा दिया गया अभिमत से यह निष्कर्ष समक्ष आता है कि जिस प्रकार की चोट उन्होंने फरियादी के सिर पर पाई थी, वो बेदन वाली चोट नहीं थी, बल्कि एक कटा-फटा हुआ घाव थी, जो कि हसियों की नोक या धार की तरफ से न होकर हसियों की उल्टी ओर थी, क्योंकि यदि हसियों की नोक या धार की तरफ से उपहति कारित की जाती, तो मात्र कटा हुआ घाव या बेदन वाला घाव फरियादी के सिर पर आता। अतः जिस प्रकार की चोट डॉक्टर आर.पी. शर्मा (अ0सा0-04) ने फरियादी के सिर पर चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पाई थी, वह निश्चित रूप से हसियों की धार या नोंक की तरफ से आना संभव नहीं है, परन्तु इसका निष्कर्ष यह कतई नहीं निकाला जा सकता है कि ऐसी चोट कारित करने में हसियों का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, क्योंकि ऐसी चोट यदि हसियों की उल्टी तरफ से प्रहार किया जाये, तो निश्चित रूप से आना संभव है जैसा की उल्लेख अदम चेक प्रदर्श पी 02 में किया गया है।
- 18- प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी अब्दुल हमीद खान (अ0सा0-05) के द्वारा विवेचना की गई है, परन्तु इस साक्षी ने विवेचना के क्रम में अभियुक्त से कोई हथियार जप्त नहीं किया है, जो यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-03 में स्वीकार करता है। घटना के संबंध में फरियादी सहित घटना के साक्षी कपूरी बाई (अ0सा0-02) व विजयराम (अ0सा0-03) ने स्पष्ट रूप से घास काटने से रोकने पर अभियुक्त के द्वारा हसियों के

प्रहार से फरियादी के सिर पर उपहति कारित करने के संबंध में अभियोजन का समर्थन करते हुये अखण्डित साक्ष्य दी है, फिर भले ही अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा अभियुक्त से प्रकरण में हसिया जप्त नहीं हुआ, मात्र उक्त कारण से फरियादी सहित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य को नजरान्दाज नहीं किया जा सकता है।

- 19— जहां तक घटना में अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ की गई गाली-गलौच का प्रश्न है तो इस संबंध में स्वयं फरियादी सन्तोष पाल (अ0सा0-01) ने अपने मुख्य परीक्षण में ही अभियोजन का समर्थन न करते हुये स्पष्ट साक्ष्य दी है घटना में मारपीट के अलावा कुछ नहीं हुआ। विजयराम ने हालांकि अपने मुख्य परीक्षण में फरियादी व आरोपी के मध्य गाली-गलौच होने की घटना बताई हैं, परन्तु किसके द्वारा गाली देना प्रारंभ किया गया तथा गालियों में वास्तव में कौन शब्द उच्चारित किये गये तथा किसने किसको अपमानित करने के आशय से गाली-गलौच देकर प्रकोपित किया, इसका निष्कर्ष विजयराम (अ0सा0-03) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों से नहीं निकाला जा सकता है। जिससे अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.वि. की धारा 504 के आरोपों को प्रमाणित पाने के लिये अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 20— फल स्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तो युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि अभियुक्त शिवराज ने दिनांक 22.08.2013 को प्रातः 09:00 बजे फरियादी का कुआ खेत ग्राम पाडरी में फरियादी सन्तोष की हसियों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की परन्तु अभियोजन यह साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि उक्त दिनांक, समय व लोक स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी सन्तोष को अपमानित करने के आशय से गाली गलौच कर प्रकोपित कर यह जानते हुये किया कि वह उस प्रकोपन से लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा।
- 21— जहां तक अभियुक्त पर आरोपित धारा 324 भा.दं.वि. का प्रश्न है, तो प्रकरण में सर्वप्रथम तो हसिया जप्त नहीं हुआ है वही अभिलेख पर आई साक्ष्य से हसिये की धार या नोंक की तरफ से फरियादी के सिर पर उपहति कारित किया जाना प्रमाणित न होकर हसियों की मोथरी तरफ से फरियादी के सिर पर अभियुक्त के द्वारा उपहति कारित किया जाना प्रमाणित होने से अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.वि. की धारा 324 के स्थान पर भा.दं.वि. की धारा 323 के आरोप प्रमाणित होते हैं। इस संबंध में न्यायालय को अभिमत माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत....**Hanslal vs State of M.P. 2002 CriLJ 3257** में प्रतिपादित न्यायमत पर आधारित है।
- 22— फलतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त शिवराज उर्फ सेवराज पुत्र प्यारेलाल गडरियां को भा.दं.वि. की धारा 504 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त शिवराज उर्फ सेवराज पुत्र प्यारेलाल गडरियां को भा.दं.वि. की धारा 504 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त शिवराज उर्फ सेवराज पुत्र

प्यारेलाल गडरियां के विरुद्ध भा.दं.वि. की धारा 324 के स्थान पर भा.दं.वि. की धारा 323 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्त शिवराज उर्फ सेवराज पुत्र प्यारेलाल गडरियां को भा.दं.वि. की धारा 323 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

- 23— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 24— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्त प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर निवेदन किया। प्रकरण में अभियुक्त का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है अभियुक्त प्रकरण में नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहा है तथा प्रकरण फरियादी को भी कोई गंभीर प्रकार की चोट नहीं है। अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये, अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा अभियुक्त को अर्धदण्ड से दण्डित कर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

- 25— अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त शिवराज उर्फ सेवराज पुत्र प्यारेलाल गडरियां को भा.दं.वि. की धारा 323 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000/— रुपये (एक हजार रुपये) के अर्धदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्धदण्ड दण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस (सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त पर अधिरोपित की गई अर्धदण्ड राशि में से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (1) के तहत 700/— रुपये (सात सौ रुपये) की राशि प्रतिकर स्वरूप अपील न होने की दशा में, अपील अवधि के पश्चात् प्रकरण में फरियादी/आहत सन्तोष पाल को प्रदान करने का आदेश दिया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

26—अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)